№ 002939

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21. 1860)

संख्या 119 वर्ष 2007-2008

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि सामाजिक कल्याण संस्था, बरमसिया, धनबाद

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख अठाईस मास अप्रैल वर्ष दो हजार सात को राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

फुटनोट –

अविभाजित बिहार में निबंधित संस्था का नाम – सामाजिक कल्याण संस्था बरमसिया धनबाद

अविभाजित बिहार का निबंधन संख्या – 590/93-94

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।

गोवर्नमेन्ट प्रेस, रांची ।

पत्रांक 174

दाखिल करने का प्रमाण–पत्र

निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय

झारखण्ड, रॉंची

सामाजिक कल्याण संस्था, बरमसिया, धनबाद

दिनांक 19.4.07

प्रमाणित किया जाता है कि 1860 के सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आज निम्नांकित दस्तावेज सम्यक रूप से दाखिल/निबंधित/अभिलिखित किया गया है/किये गये हैं।

1. निबंधन शुल्क–50/–रूपया मात्र
2. आम सभा का प्रस्ताव।
3. स्मृति–पत्र
4. नियमावली

19.4.07

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक
झारखण्ड, रॉंची।

सेवा में,
सामाजिक कल्याण संस्था, बरमसिया, धनबाद,
दुर्गा मंडप रो, बरमसिया, धनबाद।

आपके पत्र के आलोक में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संलग्न है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

19.4.07

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक

पत्रांक – जे०एस० 1/ 635

झारखण्ड सरकार
निबंधन विभाग ।

प्रेषक,

मो० युसुफ,
सहायक निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक 11/6/07

सेवा में,

सचिव, सामाजिक उत्थान संस्था,
बरमसिया धनबाद।
At दुर्गा मंदिर रोड

विषय : स्मृति – पत्र एवं नियमावली की अभिप्रमाणित प्रति निर्गत करने के संबंध में

महाशय,

आपके आवेदन के आलोक में निबंधित संस्था के स्मृति–पत्र एवं नियमावली की छाया–प्रति की अभिप्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।

अनु०–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

(मो० युसुफ)
सहायक निबंधन महानिरीक्षक ।

सामाजिक कल्याण संस्था, बरमसिया, धनबाद
का
स्मृति पत्र

1. **संस्था का नाम** : **सामाजिक कल्याण संस्था, बरमसिय, धनबाद**
2. **संस्था का निबंधित कार्यालयः** दुर्गा मंडप रोड़, बरमसिया, धनबाद (झारखंड)।
3. **कार्यक्षेत्र** : इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।
4. **आस्तियाँ एवं दायित्व** : यह संस्था अविभाजित बिहार राज्य में सामाजिक कल्याण संस्था के नाम से निबंधित संस्था जिसका निबंधन संख्या 590 वर्ष 1993–94 है के आस्तियों एवं दायित्वों को ग्रहण करती है।
5. **संस्था का उद्देश्य** :

(i) इस संस्था का मुख्य उद्वेश्य आम गरीब जनता का कल्याण। अप्रशिक्षित लोगों को प्रशिक्षित करना एवं लोगों को व्यवहारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिलवाकर अपने पैरों पर खड़ा करना।

(ii) सरकार के ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत हस्तकरघा– कच्चा उधोग, सिलाई, कटाई, बुनाई, कढ़ाई, फीटर, वायरमैन, ड्राफटसमैन, लोहारगिरी, बढ़ईगिरी, वेल्डिंग, बिजली मिस्त्री गीरी, रेडियो टी0 वी0 मेकानिक, लघु उधोग, कुटीर उधोग, लकडी एवं लोहा का सामान बनाना इत्यादि का प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था कराना है।

(iii) शहर एवं ग्राम में सुलभ शौचालय एवं कम्पोस्ट पीट का निमार्ण।

(iv) विभिन्न गृह एवं लघु उधोगों के संचालन हेतु आवश्यक कच्चे माल और औजारों की खरीद करना तथा उत्पादित वस्तुओं को उचित मूल्य पर बेचना।

(v) कुकुट पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन एवं दुध उत्पादन करना।

(vi) विभिन्न उधोगों के संचालन के लिए वर्कशाप की स्थापना करना एवं विभिन्न वस्तुओं के निमार्ण हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

(vii) विभिन्न उधोगों को चलाने हेतु आवासीय गोदाम या मकानों का निमार्ण या भाड़े पर लेना

(viii) विशेष उत्पादित वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था करना।

(ix) हैंडलूम क्लोथस का उत्पादन एवं छपाई करना और उपभोक्ताओं या आम लोगों को उचित मूल्य पर बेचना।

(x) विशेष प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा करना।

(xi) परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार करना।

(xii) शहरी तथा ग्राम समस्याओं का अन्वेषण तथा शोध करना।

(xiii) शिक्षण संस्थाओं को खोलना तथा छात्रों को छात्रवृति दिलाने का प्रबन्ध करना।

(xiv) समाज के कृषि विकास हेतु कृषि प्रशिक्षण की व्यवस्था कृषि फार्म खोलना एवं आधुनिक विकसित कृषि विज्ञान का प्रचार प्रसार करना।

(xv) समान उद्वेश्य वाली दूसरी संस्था से सम्बद्ध होना एवं करना।

(xvi) बीस सूत्री कार्यक्रम का प्रचार एवं कार्यान्वयन।

(xvii) भारतवर्ष के दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त हेतु भ्रमण कराना। केन्द्र की शाखा भारतवर्ष के किसी भाग में खोला जा सकता है।

(xviii) प्रशिक्षण प्राप्त या शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को उनको रोजगार में लगाने हेतु सहायता करना

सचिव / Secretary
सामाजिक कल्याण संस्था
SAMAJIK KALYAN SANSTHA
धनबाद / DHANBAD

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है
निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड

5. संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण :

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, पदनाम, एवं हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था की वर्तमान नियमावली के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्य है।

क0 सं0	नाम पिता/पति का नाम	पूर्ण पता मकान सं0/होल्डिंग सं0, गली/रोड सं0, मुहल्ला, पो0, थाना, जिला (मकान अपना है या किराये का है अंकित करें) दूरभाष संख्या	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	स्वहस्ताक्षरयुक्त फोटो
1.	श्री रोफ अंसारी पिता श्री पीर मोहम्मद	मकान न0 – 162 पो0 एवं थाना – धनबाद जिला – धनबाद (झारखंड) किराये का मकान फोन न0 – 9431168747	67 वर्ष	मैट्रिक	अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी	अध्यक्ष	
2.	श्रीमति तनुजा चौधरी पति श्री रवि चौधरी	मकान न0 – 167 गाँव नया भवन (उत्तर) मनोरम नगर, बेकार बाँध, जिला – धनबाद (झारखंड) अपना मकान फोन न0 – 0326–2206277	35 वर्ष	बी0एस0सी0	गृहणी, सामाजिक कार्य	सचिव	
3.	श्री रजनीश कु0 सिंह पिता श्री अवधेश प्र0 सिंह	मकान न0 – 164 बेकार बाँध, पो0 एवं थाना – धनबाद जिला – धनबाद (झारखंड) किराये का मकान फोन न0 – 9431168989	27 वर्ष	मैट्रिक	गैर सरकारी नौकरी	कोषाध्यक्ष	

सचिव / Secretary
सामाजिक कल्याण संस्था
SAMAJIK KALYAN SANSTHA
धनबाद / DHANBAD

Tanuja chaudhary

4.	श्री रवि शंकर प्र0 सिंह पिता श्री राम सागर सिंह	के0 के0 इन्स्टीच्यूट, बेकार बाँध, पो0 एवं थाना – धनबाद जिला – धनबाद (झारखंड) किराये का मकान फोन न0 – 9431187813	36 वर्ष	बी0 ई0	गैर सरकारी नौकरी एवं कृषि कार्य	सदस्य	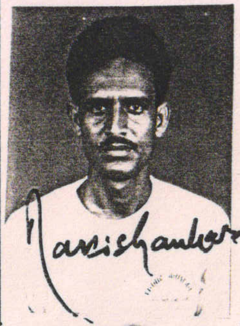
5.	श्री कुमार सरोज सिंह पिता श्री विजय कु0 सिंह	मकान न0 – 165 आफिसर कॉलोनी, पो0 एवं थाना – धनबाद जिला – धनबाद (झारखंड) किराये का मकान	34 वर्ष	बी0 ई0	गैर सरकारी नौकरी एवं कृषि कार्य	सदस्य	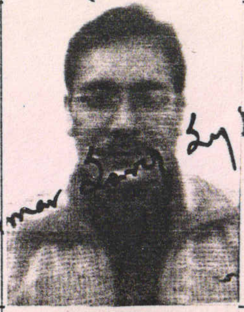
6.	श्री कोकिल चन्द्र कुमार पिता श्री नवल किशोर शर्मा	3 जवाहर नगर रोड न0 6 पो0 – मानगो, जिला – पूर्वी सिंहभुम–831012 किराये का मकान	24 वर्ष	मैट्रिक	आई0टी0आई0 अनुदेशक (गैर सरकारी)	सदस्य	
7.	श्री बिनोद प्र0 महतो पिता श्री झरी महतो	मकान न0 – 4 गांव एवं पो0 – पलानी,, थाना – बलियापुर जिला – धनबाद (झारखंड) अपना मकान	35 वर्ष	बी0 काम0	कृषि कार्य	सदस्य	

THE SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION * JHARKHAND *

सचिव / Secretary
सामाजिक कल्याण संस्था
SAMAJIK KALYAN SANSTHA
धनबाद / DHANBAD

16

6. आकांक्षी व्यक्तियों की सूची एवं विवरण :

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था निबंधन
अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत उस संस्था के निबंधन के आकांक्षी है।

क्र0 सं0	नाम पिता/पति का नाम	पूर्ण पता मकान सं0/होल्डिंग सं0, गली/रोड सं0, मुहल्ला, पो0, थाना, जिला (मकान अपना है या किराये का है अंकित करें) दूरभाष संख्या	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	स्वहस्ताक्षरयुक्त फोटो
1.	श्री रोफ अंसारी पिता श्री पीर मोहम्मद	मकान न0 – 162 पो0 एवं थाना – धनबाद जिला – धनबाद (झारखंड) किराये का मकान	67 वर्ष	मैट्रिक	अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी	
2.	श्रीमति तनुजा चौधरी पति श्री रवि चौधरी	मकान न0 – 167 गांव नया भवन (उत्तर) मनोरम नगर, बेकार बाँध, जिला – धनबाद (झारखंड) अपना मकान	35 वर्ष	बी0एस0सी0	गृहणी, सामाजिक कार्य	
3.	श्री रजनीश कु0 सिंह पिता श्री अवधेश प्र0 सिंह	मकान न0 – 164 बेकार बाँध, पो0 एवं थाना – धनबाद जिला – धनबाद (झारखंड) किराये का मकान	27 वर्ष	मैट्रिक	गैर सरकारी नौकरी	

THE SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION JHARKHAND

सचिव / Secretary
सामाजिक कल्याण संस्था
SAMAJIK KALYAN SANSTHA
धनबाद / DHANBAD

18

4.	श्री कुमार देव रंजन पिता श्री राम चरित्र राय	मकान न0 – 84 बिनोद नगर, पो0 एवं थाना – धनबाद जिला – धनबाद (झारखंड) अपना मकान	35 वर्ष	बी0 फार्मा	गैर सरकारी नौकरी	Kumar Dev Ranjan
5.	श्री महफूज़ आलम पिता मो0 आलीम	भूली रोड, पो0 – वासेपुर, थाना – धनबाद जिला – धनबाद (झारखंड) अपना मकान	28 वर्ष	बी0एस0सी0	गैर सरकारी नौकरी	महफूज आलम
6.	श्री मुरलीधर दुबे पिता श्री जे0 दुबे	मोहल्ला – न्यु बिशुनपुर पो0 – बी0 पोलीटेकनिक, थाना – धनबाद जिला – धनबाद (झारखंड) अपना मकान	37 वर्ष	मैट्रिक एवं आई0टी0आई0	प्राईवेट नौकरी (फिटर अनुदेशक)	Murlidhar Dubey.
7.	श्री कुमार सरोज सिंह पिता श्री विजय कु0 सिंह	मकान न0 – 165 आफिसर कॉलोनी, पो0 एवं थाना – धनबाद जिला – धनबाद (झारखंड) किराये का मकान	34 वर्ष	बी0 ई0	गैर सरकारी नौकरी एवं कृषि कार्य	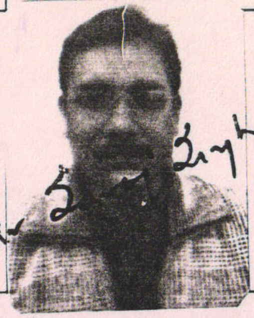 Kr. Saroj Singh

THE SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION * JHARKHAND *

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्ति, जिनका फोटो उपर चिपका है तथा हस्ताक्षर उपर अंकित है, ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।

सचिव / Secretary
सामाजिक कल्याण संस्था
SAMAJIK KALYAN SANSTHA
धनबाद / DHANBAD

Tanya Choudhary

25/12
सहायक अभियंता
जामताड़ा

राजपत्रित पदाधिकारी
(नाम, पदनाम एवं मुहरयुक्त हस्ताक्षर)
(Ravi Choudhary, Assistant Engineer, [illegible] Jamtara).

15

13

सामाजिक कल्याण संस्था, बरमसिया, धनबाद
का
नियमावली

1. परिभाषा

(क) संस्था का अर्थ होगा — **सामाजिक कल्याण संस्था, बरमसिया, धनबाद**
(ख) समिति का अर्थ होगा — **संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति**
(ग) पदाधिकारी का अर्थ होगा — **संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष**
(घ) वर्ष से अभिप्राय होगा — **01 अप्रैल से 31 मार्च**
(क) एक्ट का अर्थ होगा — **सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860**

2. **आस्तियाँ एवं दायित्व** : यह संस्था अविभाजित बिहार राज्य में सामाजिक कल्याण संस्था के नाम से निबंधित संस्था जिसका निबंधन संख्या 590 वर्ष 1993–94 है के आस्तियों एवं दायित्वों को ग्रहण करती है।

3. **सदस्यता** —

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संस्था के उददेश्यों एवं नियमों का पालन करेगा इस संस्था के सदस्य बन सकते है।
(ख) प्रत्येक सदस्य को समय समय पर प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं नियमावली मानने के लिये लिखित घोषणा करना होगा।
(ग) सदस्य बनने के लिये आवेदन पत्र देना होगा जिस पर समिति के स्वीकृति आवश्यक होगा। 25 रू प्रवेश शुल्क देकर सदस्य बन सकते है।
(घ) संस्था भविष्य में ऐसे व्यक्तियों को सदस्य बना सकती है जिनकी सेवाओं की अनिवार्यता एवं उपयोगिता समझी जाय।

4. **सदस्यता से विमुक्ति** —
निम्न दशाओं में सदस्यता से विमुक्ति होगी —
(क) मृत्यु या पागल होने पर
(ख) संस्था के नियमों के विरूद्व आचरण करने पर तथा तीन माह तक लगातार सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।

5. **प्रबन्धकारिणी समिति का गठन** —
(क) संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति में पदाधिकारीयों सहित कुल 8 सदस्य होंगे ।
(ख) प्रबन्धकारिणी समिति का गठन प्रबन्धकारिणी समिति की आम सभा में चुनाव द्वारा होगा।
(ग) वर्ष के भीतर समिति में कोई पद रिक्त होने पर समिति उक्त पद पर इस वर्ष के शेष भाग के लिए अन्य सदस्यों में से किसी प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य या पदाधिकारी मनोनीत कर सकती है।

सचिव / Secretary
सामाजिक कल्याण संस्था
SAMAJIK KALYAN SANSTHA
धनबाद / DHANBAD

12

(घ) आम सभा अध्यक्ष पद पर किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति को मनोनित कर सकती है।

(ड़) समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

6. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकारी एवं कर्त्तव्य –

समिति प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय संस्था के नियमानुसार करेगी। समिति के निम्नांकित अधिकार होंगे।

(क) सदस्यता के लिये प्रार्थना पत्र स्वीकार करना।

(ख) आवश्यकतानुसार धन संग्रह करना एवं संस्था के नियमानुसार व्यय करना।

(ग) कोई सदस्य जिसका चरित्र संस्था के उददेश्य पर कुठाराघात पहुंचाता हो तो उसे सदस्यता से हटाना।

(घ) आर्थिक विवरण तैयार करना एवं उसे वार्षिक अधिवेशन में पेश करना।

(ड़) संस्था की चल अचल सम्पति का उत्तरदायि होना।

7. पदाधिकारीयों का अधिकार एवं कर्त्तव्य –

अध्यक्ष

(क) प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना और उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति का नियंत्रण करना।

(ग) सभी कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करना।

(घ) सभी कार्यवाहियों को सम्पन्न कराने में अध्यक्ष बैठक में शांति व्यवस्था रखेगे और बराबरी अवस्था में निर्णायक अतिरिक्त मत देने के अधिकार होगें।

सचिव

(क) प्रत्येक कार्यवाही का निरीक्षण करेंगे और किसी तरह का अनियमित्ता के लिए उत्तरदायी होगें।

(ख) महत्वपूर्ण विषयों पर प्रबन्धकारिणी समिति की राय लेकर तथा सामान्य विषयों पर स्वयं अपने विवेकानुसार निणर्य लेंगे एवं पत्राचार करेंगे।

(ग) संस्था के सभी संबंधित कागजात एवं चेक पर हस्ताक्षर करेंगे।

(घ) आय व्यय का लेखा तथा वार्षिक विवरण आम सभा की बैठक में प्रस्तुत करेगें।

(ड) बैठक की कार्यवाही करेंगे।

(च) सचिव 100 रू तक आकस्मिक व्यय कर सकते है।

(छ) अध्यक्ष की राय से बैठक आहुत करेंगे।

सचिव / Secretary
सामाजिक कल्याण संस्था
SAMAJIK KALYAN SANSTHA
धनबाद / DHANBAD

कोषाध्यक्ष

(क) संस्था का कोष तथा उससे संबंधित लेखा बही तैयार करना तथा सचिव के माध्यम से बैठक में प्रस्तुत करना।

(ख) आय व्यय का हिसाब करना तथा लेखा का अंकेक्षण कराना।

(ग) सदस्यों एवं गैर सदस्यों से राशि लेकर उन्हे रसीद देना।

(घ) संस्था के कोष की रक्षा, वृद्वि तथा नियमानुसार व्यय करने के लिए अधिकृत होंगे।

THE SEAL OF THE OFFICE OF INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION JHARKHAND

8. **आमसभा का कर्त्तव्य एवं अधिकार –**

(क) वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण, आय व्यय का विवरण स्वीकृत करना।

(ख) आगामी वर्ष के लिये समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के मनोनयन पर विचार करना एवं उस पर अन्तिम निर्णय लेना।

(ग) आगामी वर्ष का आय व्यय स्वीकृत करना।

(घ) अंकेक्षक की नियुक्ति करना।

(ड) अध्यक्ष की राय से अन्य विषयों पर विचार करना।

9. **बैठकें –**

(क) समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी। आवश्यकतानुसार बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

(ख) आम सभा की बैठक बुलाना।

(ग) आमसभा की बैठक प्रति वर्ष माह जनवरी में होगी। विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

(घ) वार्षिक बैठक की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष आम सभा की सूचना 10 दिन पूर्व दी जायेगी। समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना 48 घण्टे पूर्व दी जायेगी। सूचना डाक या पंजी द्वारा दी जायेगी।

(ड) एक तिहाई सदस्यों के लिखित मांग पर सचिव को एक माह के अन्दर आवेदन पत्र में लिखित विषयों पर विचार हेतु बैठक बुलानी होगी अगर सचिव उक्त तिथि के अन्दर बैठक नहीं बुलाते है तो आवेदकों को अधिकार होगा कि उक्त अवधि के बाद आवेदन में लिखित विषयों पर विचार हेतु बैठक का आयोजन कर सकते है किन्तु इसकी विधिवत सूचना सभी सदस्यों को देनी होगी।

(च) एक तिहाई सदस्यों का उपस्थिति किसी बैठक का कोरम समझा जायेगा। कोरम की पुर्ति नहीं होने पर उस दिन की बैठक स्थगित की जायेगी। और स्थगित बैठक हेतु पुनः कोरम की आवश्यकता नहीं होगी तथा पूर्व निर्धारित विषयों पर ही विचार होगा। समान मत प्राप्त होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

10. **आय का श्रोत –**

(क) सरकार से सहायता

(ख) सरकारी अनुदान एवं ऋण

(ग) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क

(घ) चन्दा एवं दान इत्यादि

सचिव/Secretary
सामाजिक कल्याण संस्था
SAMAJIK KALYAN SANSTHA
धनबाद/DHANBAD

11. **कोष –**

संस्था की राशि संस्था के नाम समिति द्वारा निर्धारित किसी बैंक या डाकघर में रखी जायेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर इसकी निकासी कोषाध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।

(10)

12. **निधि का अंकेक्षण –**

(क) संस्था की लेखा का संधारण नियमित रूप से रखा जायेगा तथा प्रतिवर्ष आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से उसका अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) निबंधन महानिरीक्षक, झारखंड, राँची जब भी चाहें संस्था की लेखा का अंकेक्षण किसी चाटर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते है, जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

13. **पंजी की व्यवस्था –**

संस्था का सभी पंजीयाँ संस्था के निबन्धित कार्यालय में रखी जायेगी जहाँ संस्था के कोई भी सदस्य सचिव की लिखित अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है।

14. **संस्था का विघटन –**

संस्था का विघटन तथा सम्पति की व्यवस्था संस्था निबंधन अधिनियम 1860 की धारा 13 एवं 14 के अनुसार की जायेगी।

15. **संविधान में संशोधन –**

इस संविधान में संशोधन करने का अधिकार समिति की आम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से होगा। परन्तु संशोधन का ऐसा कोई प्रस्ताव आम सभा में तब तक विचारार्थ नहीं हो सकता जब तक उस पर प्रबन्धकारिणी समिति के कुल सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों की सहमति नहीं हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है।

(कोषाध्यक्ष)	(सचिव)	(अध्यक्ष)
कोषाध्यक्ष / Treasurer सामाजिक कल्याण संस्था SAMAJIK KALYAN SANSTHA धनबाद / DHANBAD	सचिव / Secretary सामाजिक कल्याण संस्था SAMAJIK KALYAN SANSTHA धनबाद / DHANBAD	*President* Samajk Kaiyan Sanstha Dhanbad

I ... I
II ... 11/07/07
III ... सामाजिक कल्याण संस्था
IV ...

सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

हस्ते, निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड